हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 मई, 2016

संख्या 16/एसटी–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59क/2016.– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इसके नीचे यथा विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन ऐसे प्रभावित व्यवहारियों को प्रथम जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के लिए, अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य कर, ब्याज, शास्ति या अन्य बकायो के सम्बन्ध में राहत उपलब्ध करवाने के लिए जो फरवरी, 2016 के महीने में आरक्षण आन्दोलन के दौरान प्रभावित व्यवहारी के लिए स्कीम अर्थात् हरियाणा माफी स्कीम, 2016 अधिसूचित करते है, अर्थात्:–

स्कीम

संक्षिप्त नाम 1. यह स्कीम फरवरी, 2016 मास में आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित व्यवहारियों हेतु हरियाणा माफी स्कीम, 2016 कही जा सकती है।

परिभाषाएं 2. (1) इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

"प्रभावित व्यवहारी" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन कोई पंजीकृत व्यवहारी जो राज्य में फरवरी, 2016 के मास में आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित हुआ हो और जो सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित अथवा गठित समुचित प्राधिकारी या समिति द्वारा मुआवजे के लिए हकदार समझा गया हो।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होगें जो उन्हे अधिनियम के अधीन दिए गए है।

आवेदन प्रस्तुत करना **3.** प्रभावित व्यवहारी, इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररुप में राजपत्र में इस स्कीम की अधूिसचना की तिथि से अथवा पदाभिहित प्राधिकारी या समिति द्वारा मुआवजे के लिए हकदार पाये जाने की तिथि से, जो भी बाद में हो, साठ दिन के भीतर उसमें अपेक्षित व्यौरे प्रस्तुत करते हुये, आवेदन करेगा।

समिति का गठन **4.** दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों (सम्बन्द्व निर्धारण प्राधिकारी से अन्यथा) तथा जिला में पदस्थ सम्बन्द्व निर्धारण प्राधिकारी से मिलकर बनने वाली समिति प्रत्येक आवेदन की जांच करेगी तथा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर सम्बन्ध उप आबकारी व कराधान आयुक्त(बिक्री कर) को रिपोर्ट करेगी।

उप आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्री कर) जहां उसे विश्वास के कारण है कि आवेदन में प्रभावित व्यवहारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना सामग्री विशेष में अधूरी तथा गलत है, तो वह, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों हेतु, प्रभावित व्यवहारी को निर्देश देते हुए कारण बताओ नोटिस तामील करेगा क्यो न उसका आवेदन रद्द कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद उप आबकारी व कराधान आयुक्त(बिक्री कर) नोटिस के जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा।

उप आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्री कर) आवेदन स्वीकार करेगा जो उपयुक्त पाया जाता है या जहॉ नोटिस के बाद त्रुटि दूर कर दी है।

स्कीम का उद्देश्य **5.** (i) फरवरी, 2016 के दौरान हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन प्रभावित व्यवहारी द्वारा बेचे गए माल के आर्वत पर इस स्कीम के अधीन आने वाले प्रभावित व्यवहारी द्वारा भुगतान योग्य कर माफ हुआ समझा जाएगा। ऐसे कर की प्रमात्रा प्रभावित व्यवहारी द्वारा आवेदन प्ररुप में निर्धारण प्राधिकारी को सूचित की जाएगीः

परन्तु यदि प्रभावित व्यवहारी के आवेदन की जांच के लिए गठित समिति प्रभावित व्यवहारी की लेखा बहिया फरवरी, 2016 के मास के दौरान बेचे गए माल पर कर की प्रमात्रा का पता लगाने में असमर्थ है, तो स्कीम के अधीन अनुमत कर की छूट हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74) के अधीन 01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान भुगतान योग्य औसत मासिक कर भुगतान योग्य से अधिक नहीं होगी।

(ii) प्रभावित व्यवहारी को जनवरी, 2016 तथा मार्च, 2016 के मास के दौरान बेचे गए माल के टर्नओवर पर कर का भुगतान नही करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (6) के अधीन तथा अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (6) के साथ पठित केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन छूट दी जाएगी, वशर्तें ऐसे कर का भुगतान 31 जुलाई, 2016 तक किया गया है।

(iii) कोई प्रभावित व्यवहारी जो फरवरी, 2016 में आरक्षण आंदोलन क दौरान ऐसे माल की क्षति होने, नष्ट हो जाने अथवा खो जाने के कारण प्ररुप–डी1 में घोषणा के विरुद्व विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदे गए माल का उपयोग करने में असफल रहता है, तो हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन शास्ति से उन्मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

(iv) कोई प्रभावित व्यवहारी फरवरी, 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान ऐसे माल की क्षति होने, के नष्ट होने अथवा खो जाने के कारण प्ररुप–सी में घोषणा के विरुद्व विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदे गए माल का उपयोग करने में असफल रहता है, तो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74) की धारा 10(क) की शास्ति से उन्मुक्ति प्राप्त करेगा ।

(v) किसी प्रभावित व्यवहारी के मामले में जो प्रथम जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए विवरणियों को प्रस्तुत करते समय प्रभावित प्राधिकारी या समिति के सम्मुख दावा दायर करता है, तो उसकी अवधि 31 जुलाई, 2016 तक बढ़ाई जाती है।

(vi) इस स्कीम के अधीन आने वाले प्रभावित व्यवहारी को माल के सम्बन्ध में भी निवेश कर के दावे का हकदार होगा, जो फरवरी, 2016 के मास में राज्य में आरक्षण आंदोलन के दौरान क्षति, नष्ट अथवा खो गई हो।

(vii) प्रभावित व्यवहारी द्वारा समुचित प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित पदाभिहित समिति या किसी बीमा कम्पनी से प्राप्त बीमा दावे से मुआवजे के रुप में प्राप्त की गई राशि, आरक्षण आंदोलन के दौरान क्षति, नष्ट या खो गए माल को मूल्यावान प्रतिफल के रुप में विचारा नहीं जाएगा।

सन्देह दूर करना **6.** (i) इस स्कीम के अधीन में दी गई बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि इस स्कीम में दिए गए लाभ, छूट या उन्मुक्ति से अन्यथा लाभ, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करना है।

(ii) यदि इस स्कीम के सम्बन्ध में कोई सन्देह अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो उन पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

आवेदन प्ररुप
(देखिए खण्ड 3)

पंजीकृत व्यवहारियों के लिये फरवरी 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित हरियाणा माफी स्कीम, 2016

(स्कीम के खण्ड 3 के अधीन)

क्रम संख्या		
1	व्यवहारी का नाम	
	पी0ए0एन0	
	मोवाईल	
	ई0मेल आई डी	
	एस0सी0ओ0 / बुथ / दुकान / भवन / फ्लैट / फ्लौर न0	
	सैक्टर / क्षेत्र	
	शहर / नगर / गांव	
	ड़ाकखाना	
	जिला	
	पिन कोड़	
	राज्य	
2	टिन	
	टिन का दायित्व की तिथि	
	टिन की वैद्यता की तिथि	
3.	(क) तिथि जिसको पदाविहित प्राधिकारो अथवा समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले मुआवजे के लिए आवेदन (कृपया आवेदन की प्रति संलग्न करें)	
	(ख) तिथि जिसको पदाविहित प्राधिकारी अथवा समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले मुआवजे के लिए आवेदन (कृपया आवेदन की प्रति संलग्न करें)	

4. फरवरी, 2016 के दौरान बेचे गए माल के आवर्क पर कर की राशि
(कृपया देखिये खण्ड 5(i))

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम / केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम	**फरवरी, 2016 में बिक्री के आवर्क पर भुगतान योग्य कर राशि (रुपयें में)**	**1.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान बिक्रीयों के आवर्क पर भुगतान योग्य कर राशि (रुपयें में)**
1	2	3
हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम		
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम		
कुल		

5. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन ब्याज से उद्‌दग्रहण से कर छूट की राशि
(कृपया देखिए खण्ड 5(ii))

अवधि	**हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन 30.04.2016 तक भुगतान किए गए कर की राशि (31.07.2016 तक बकाए बढाए गए कर की भुगतान की अवधि) (रुपयें में)**	**केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन 30.04.2016 तक भुगतान की गई कर की राशि (कर भुगतान की अवधि 31.07.2016 तक बढाई गइ) (रुपयें में)**	**कुल (रुपयें में)**

	1	2	3	4
	जनवरी, 2016			
	मार्च, 2016			
	जोड़			

6.	फार्म ड़ी–1 में राज्य के भीतर से खरीदी गई वस्तुओं के स्टाक मूल्य जो प्रभावित व्यवहारी माल पर दावा करता है कि फरवरी, 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया या नष्ट कर दिया या खो गया। **[कृपया देखिए खण्ड़ 5(iii)]** (रुपयें में)	फार्म सी में राज्य के बाहर से खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य जो प्रभावित व्यवहारी माल का दावा करता है कि फरवरी, 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया या नष्ट कर दिया या खो गया। **[कृपया देखिए खण्ड़ 5(iv)]** (रुपयें में)	राज्य के भीतर से खरीदी गई वस्तुओं का कर का भुगतान (निवेश कर) स्टॉक मूल्य जो प्रभावित व्यवहारी फरवरी, 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया या नष्ट कर दिया गया या खो गये माल का दावा करता है। **[कृपया देखिए खण्ड़ 5(iv)]** (रुपयें में)
	1	2	3

7.	दर्ज/प्राप्त की गई दावे की राशि **[कृपया देखिए खण्ड़ 5(vii)देखे]**			
	पदाविहित प्राधिकारी या समिति के समक्ष मुआवजे के लिए दावे की राशि (राशि रुपयें में)	पदाविहित प्राधिकारी या समिति से अनुमोदित/प्राप्त मुआवजे के लिए दावे की राशि (राशि रुपयें में)	बीमा कम्पनी के समक्ष दायर की गई बीमा दावे की राशि (राशि रुपयें में)	बीमा कम्पनी से अनुमोदित/प्राप्त बीमा दावे की राशि (राशि रुपयें में)
	1	2	3	4
	टिप्पणः अगर बीमा दावा राशि/मुआवजा स्वीकृत/प्राप्त हो गया है तो खाना 2 तथा 4 में सूचना दर्ज दे।			

घोषणा पत्रः

मै ____________________(पूरा नाम दें) पुत्र/पुत्री ________________(पिता का नाम दें), का निवासी ________________(रिहायशी पता पूरा दें), मैसर्ज ________________ (व्यापार की वस्तु/व्यवहारी के व्यवसाय का पूरा नाम दें) के मालिक/हिस्सेदारी/प्रवन्ध निदेशक/विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की क्षमता में इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त ब्यौरे मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। **"हरियाणा माफी स्कीम, 2016, उन पंजीकृत व्यवहारियों के लिये जो फरवरी 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित थे"**, को निबन्धन तथा शर्ते पूर्ण रूप से समझने के बाद चुना है।

हस्ताक्षर

स्थान (आवेदक का नाम)
दिनांक व्यवहारी की मोहर भी लगाएं

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 27 May, 2016

No.16 /ST-1/H.A.6/2003/S.59A/2016. - In exercise of the powers conferred by section 59A of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby notifies a Scheme namely, **the Haryana Amnesty Scheme, 2016 for dealers affected during reservation agitation in the month of February, 2016** to provide relief in respect of tax, interest, penalty or other dues payable under the Act, for the period from the 1st January, 2016 to 31st March, 2016, to such affected dealers, subject to the conditions and restrictions as specified hereunder:-

Scheme

Short title

1. This scheme may be called the Haryana Amnesty Scheme, 2016 for the dealers affected during reservation agitation in the month of February, 2016.

Definitions

2. (1) Unless the context otherwise requires, for the purposes of this scheme,-

"affected dealer" means any registered dealer under the Act, who has been affected during reservation agitation in the State in the month of February, 2016, and considered entitled to compensation by the appropriate authority or committee designated or constituted for this purpose by the Government.

(2) Words and expressions not defined, but used in this scheme shall have the same meaning as assigned to it under the Act.

Submission of application

3. The affected dealer shall apply in Form appended to the scheme to the appropriate assessing authority, within sixty days from the date of the notification of the scheme in the Official Gazette or from the date of being considered entitled to compensation by the designated authority or committee, whichever is later, furnishing the details required therein.

Constitution of committee

4. A committee consisting of two senior most Excise and Taxation Officers (other than the concerned Assessing Authority) and the concerned Assessing Authority posted in the district shall examine each application and make report within thirty days of the receipt of the application, to the concerned Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST).

The Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST), where he has reasons to believe that the information provided by the affected dealer in the application is incomplete or incorrect in material particulars, he may, for reasons to be recorded in writing, serve a notice upon the affected dealer directing him to show cause as to why his application should not be rejected. Thereafter, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST) shall pass an appropriate order on the application, within a period of fifteen days from the date of issuance of notice.

The Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST) shall accept the application which has been found in order or where the deficiency has been removed after notice.

Objects of Scheme **5.** **(i)** The tax payable by an affected dealer covered under this scheme on the turnover of goods sold by him under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 and the Central Sales Tax Act, 1956 during February, 2016 shall stand waived off. The quantum of such tax shall be intimated by the affected dealer to the appropriate assessing authority in the application form:

Provided that in case the committee constituted for examining the application of the affected dealer is unable to ascertain the quantum of tax on goods sold during the month of February, 2016 from the account books of the affected dealer, the relief of tax waiver allowed under the scheme shall not exceed the average monthly tax payable under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) and Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956), during the period 1st April, 2015 to 31st December, 2015.

(ii) The affected dealer shall be exempted under sub-section (6) of section 14 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 and under sub-section (2) of section 9 of the Central Sales Tax Act, 1956 read with Section 14(6) of the Act for non payment of tax on the turnover of goods sold during the months of January, 2016 and March, 2016 provided such tax is paid by the 31st July, 2016.

(iii) An affected dealer who has failed to use the goods purchased for specified purpose against declaration in form D-1 due to damage, destruction or loss of such goods during the reservation agitation in February, 2016, shall get immunity from penalty under sub-section 5 of section 7 of the Haryana Value Added Tax Act.

(iv) An affected dealer who failed to use the goods purchased for specified purpose against declaration in form 'C' due to damage, destruction or loss of such goods during the reservation agitation in February, 2016, shall get immunity from penalty under section 10A of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956).

(v) In the case of an affected dealer, who has lodged claim before the designated authority or committee, the time for submission of returns for the period 1st January, 2016 to 31st March, 2016 is extended upto 31st July, 2016.

(vi) An affected dealer covered under this scheme shall be entitled to claim input tax credit even in respect of the goods which have been damaged, destroyed or lost during the reservation agitation in the State in the month of February, 2016.

(vii) The amount received as compensation from the appropriate authority or committee designated or constituted for this purpose by the government or insurance claim

received from any insurance company, by the affected dealer, shall not be considered as valuable consideration towards the goods damaged, destroyed or lost during the reservation agitation.

Removal of Doubts **6.** (1) Nothing contained in this scheme shall be construed as conferring any benefit, concession or immunity other than the benefit, concession or immunity granted under this scheme.

(2) In case of any doubt or dispute arising out of the Scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.

<table>
<tr><td colspan="5">APPLICATION FORM</td></tr>
<tr><td colspan="5">THE HARYANA AMNESTY SCHEME, 2016 FOR REGISTERED DEALERS AFFECTED DURING RESERVATION AGITATION IN FEBRUARY, 2016</td></tr>
<tr><td colspan="5">(under clause 3 of the Scheme)</td></tr>
<tr><td>Serial Number</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">1.</td><td colspan="3">Name of the dealer</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">PAN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Mobile</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">E-mail id</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">SCO/Booth/Shop/Building/Flat/Floor No.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Sector/Area</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">City/Town/Village</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Post Office</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">District</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pin Code</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">State</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td colspan="3">TIN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Date of Liability of TIN</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Date of Validity of TIN</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td colspan="3">(a) Date on which application for compensation submitted to the designated authority or committee.(please attach copy of application)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">(b) Date on which application for claim of compensation submitted to the insurance company (please attach copy of application)</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="4">Amount of tax on turnover of goods sold during February 2016
(Please see clause 5(i))</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>HVAT Act/CST Act</td><td colspan="2">Amount of tax payable on Turnover of sales in February 2016
(In rupees)</td><td>Amount of tax payable on Turnover of sales during 1.4.2015 to 31.12.2015
(In rupees)</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>HVAT Act</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>CST Act</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="4">Amount of tax exempted from levy of interest under the HVAT Act and the CST Act
(please see clause 5(ii))</td></tr>
<tr><td>Period</td><td>Amount of tax required to be paid by 30.4.2016 under the HVAT Act. (period for payment of tax extended upto 31.7.2016)
(In rupees)</td><td>Amount of tax required to be paid by 30.4.2016 under the CST Act. (period for payment of tax extended upto 31.7.2016)
(In rupees)</td><td>Total
(In rupees)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td colspan="2">3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>January 2016</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>March 2016</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Value of stock of goods purchased from within state against Form ‘D1’ which the affected dealer claims to have been damaged, destroyed or lost during the reservation agitation in February 2016.
(Please see clause 5(iii))
(In rupees)</td><td>Value of stock of goods purchased from outside the state against declaration in Form ‘C’, which the affected dealer claims to have been damaged, destroyed or lost during the reservation agitation in February 2016.
(Please see clause 5(iv))
(In rupees)</td><td colspan="3">Value of stock of goods purchased from within state after payment of tax (input tax), which the affected dealer claims to have been damaged, destroyed or lost during the reservation agitation in February 2016.
(Please see clause 5(vi))
(In rupees)</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td colspan="3">3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="5">Amount of Claim lodged/received
(please see clause 5(vii))</td></tr>
<tr><td></td><td>Amount of claim for compensation lodged before the designated authority or committee
(in rupees)</td><td colspan="2">Amount of claim for compensation approved/ received from the designated authority or committee
(in rupees)</td><td>Amount of insurance claim lodged before the insurance company</td><td>Amount of insurance claim approved/received from the insurance company</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td colspan="2">2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Note. Information in column 2 and 4 to be filled up if insurance claim/ compensation has been approved/received</td></tr>
</table>

Declaration:

I ________________________________ (give full name) son/daughter of ________________________ (give name of the father), resident of _____________________(give complete residential address), hereby declare in the capacity of ______________________ (proprietor/partner/managing director/duly authorized signatory) of M/s _____________________________ (give full name of the business entity/dealer), having its business address at __________________________ (give complete address of the dealer) that the contents contained hereinabove are true and correct and that nothing has been concealed therein. I have applied for **THE HARYANA AMNESTY SCHEME, 2016 FOR REGISTERED DEALERS AFFECTED DURING RESERVATION AGITATION IN FEBRUARY, 2016** after fully understanding the terms and conditions.

Signature

Place: (Name of the applicant)

Date: Also affix Seal and stamp of the dealer

(ROSHAN LAL)
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Excise and Taxation Department